**संशोधन**

**संख्या- 72 /2025 / 566 /चार-2025-1592535**

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

**संस्कृति अनुभाग:** **लखनऊ: दिनांक 18 फरवरी, 2025**

विषय- स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, शाहजहांपुर के अनुरक्षण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 35/2025/303/चार-2025-1592535 दिनांक 21 जनवरी, 2025 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में अपने पत्र संख्या- 5295/सं0नि0-6(45)/2023-24 दिनांक 11 फरवरी, 2025 तथा शासनादेश संख्या-35/2025/303/चार-2025-1592535 दिनांक 21 जनवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में शासनादेश संख्या- 35/2025/303/चार-2025-1592535 दिनांक 21 जनवरी, 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 21 जनवरी, 2025 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित शर्तों में टंकण त्रुटिवश अंकित बिन्दु संख्या-(8) - ''संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।'' के स्थान पर बिन्दु संख्या-(8) निम्नानुसार पढ़ा जाये :-

(8) धनराशि आहरित कर मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, शाहजहाँपुर के पक्ष में अवमुक्त की जायेगी। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, शाहजहांपुर द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है तथा स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, शाहजहांपुर को पूर्व वर्षों में स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त शासनादेश संख्या- 35/2025/303/चार-2025-1592535 दिनांक 21 जनवरी, 2025 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 72 /2025 / 566 (1) /चार-2025- 1592535 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद्, शाहजहांपुर।
8. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in